

I/145054/2023

ए-20011/52/2018-ईएसटीटी-IX

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्था-IX अनुभाग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066।

दिनांक: 21-8-2023.

कार्यालय आदेश

अर्धवर्षिता की आयु पूरी करने के पश्चात श्रीमती सुमन सीकरी, अवर सचिव, सरकारी सेवा से दिनांक 31-08-2023 को सेवानिवृत्ति हो जाएंगी।

Signed by Parvesh
Tenuriya

Date: 22-08-2023 12:27:56

(परवेश तेनुरिया)

Reason: Approved

अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि

1. अवर सचिव, प्रशासन, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी पदधारी की सेवानिवृत्ति के बाद वेतन रोकने के अनुरोध के साथ।
3. संबंधित अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी।
4. डीडी, ई-गवर्नेंस। सेल, केंद्रीय जल आयोग/डीडी, पीसीपी डीटीई, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. अनुभाग अधिकारी, लेखा-IV, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
6. अनुभाग अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
7. अनुभाग अधिकारी, लेखा-III, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
8. श्रीमती सुमन सीकरी, यूएस को केंद्रीय जल आयोग के सभी संबंधित अनुभागों/निदेशालयों से कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद जमा करने के अनुरोध के साथ।
9. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/सेवा पुस्तिका।
10. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड/केंद्रीय जल आयोग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रति।